

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री जरनैल सिंह


दिनांक : 07.06.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 86

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर																																																																							
क	जनवरी 2014 से अप्रैल 2018 तक तीनों नगर निगमों में अवैध निर्माण के चलते कितने भवन बुक किए गए, जोन वाइज वर्षानुसार पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएं;	<p>उत्तरी दिल्ली नगर निगम जनवरी 2014 से अप्रैल 2018 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अवैध निर्माण के चलने भवन बुक किए गए उनका जोन वाइज व वर्षानुसार पूर्व ब्यौरा अनुलंगनक 'क' पर संलग्न है ।</p> <p>पूर्वी दिल्ली नगर निगम पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत क्षेत्रीय भवन विभागों द्वारा बुक किये गये अवैध निर्माणों की संख्या की सूची संलग्न है ।</p> <p>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जनवरी 2014 से अप्रैल 2018 तक अवैध निर्माण के चलते बुक किये गये भवनों का दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के चारों ज़ोनों का विवरण निम्नलिखित है ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>कुल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नजफगढ़</td> <td>664</td> <td>828</td> <td>644</td> <td>742</td> <td>191</td> <td>3069</td> </tr> <tr> <td>दक्षिणी क्षेत्र</td> <td>1184</td> <td>1161</td> <td>961</td> <td>1096</td> <td>326</td> <td>5228</td> </tr> <tr> <td>पश्चिमी क्षेत्र</td> <td>1370</td> <td>790</td> <td>914</td> <td>1047</td> <td>389</td> <td>4510</td> </tr> <tr> <td>मध्य क्षेत्र</td> <td>1503</td> <td>1713</td> <td>1485</td> <td>1594</td> <td>406</td> <td>6701</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	2014	2015	2016	2017	2018	कुल	नजफगढ़	664	828	644	742	191	3069	दक्षिणी क्षेत्र	1184	1161	961	1096	326	5228	पश्चिमी क्षेत्र	1370	790	914	1047	389	4510	मध्य क्षेत्र	1503	1713	1485	1594	406	6701																																				
वर्ष	2014	2015	2016	2017	2018	कुल																																																																			
नजफगढ़	664	828	644	742	191	3069																																																																			
दक्षिणी क्षेत्र	1184	1161	961	1096	326	5228																																																																			
पश्चिमी क्षेत्र	1370	790	914	1047	389	4510																																																																			
मध्य क्षेत्र	1503	1713	1485	1594	406	6701																																																																			
ख	उपरोक्त बुक की गई संपत्तियों में से कितनों को गिराया गया व कितनों को सील किया गया, उसका भी वर्षवार जोन वाइज अलग-अलग ब्यौरा दें;	<p>उत्तरी दिल्ली नगर निगम उपरोक्त बुक की गई संपत्तियों में से जितनों को गिराया गया व जितनों को सील किया गया, उसका भी वर्षानुसार व जोन वाइज अलग-अलग ब्यौरा अनुलंगनक 'क' में दर्शाया गया है ।</p> <p>पूर्वी दिल्ली नगर निगम पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत क्षेत्रीय भवन विभागों द्वारा तोड़े गये एव सील किये गये अवैध निर्माणों की संख्या उपरोक्त सूची में दी गई है ।</p> <p>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जनवरी 2014 से अप्रैल 2018 तक अवैध निर्माण को गिराया या सील किया गया । दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के चारों ज़ोनों का विवरण निम्नलिखित है ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">वर्ष</th> <th colspan="2">नजफगढ़</th> <th colspan="2">दक्षिणी क्षेत्र</th> <th colspan="2">पश्चिमी क्षेत्र</th> <th colspan="2">मध्य क्षेत्र</th> </tr> <tr> <th>डेमोले.</th> <th>सील</th> <th>डेमोले.</th> <th>सील</th> <th>डेमोले.</th> <th>सील</th> <th>डेमोले.</th> <th>सील</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>363</td> <td>37</td> <td>305</td> <td>267</td> <td>453</td> <td>144</td> <td>715</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>384</td> <td>73</td> <td>340</td> <td>250</td> <td>176</td> <td>184</td> <td>610</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>308</td> <td>18</td> <td>268</td> <td>185</td> <td>240</td> <td>54</td> <td>615</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>204</td> <td>12</td> <td>299</td> <td>244</td> <td>250</td> <td>56</td> <td>679</td> <td>142</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>72</td> <td>05</td> <td>49</td> <td>35</td> <td>55</td> <td>80</td> <td>131</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>1331</td> <td>145</td> <td>1261</td> <td>981</td> <td>1174</td> <td>456</td> <td>2750</td> <td>675</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	नजफगढ़		दक्षिणी क्षेत्र		पश्चिमी क्षेत्र		मध्य क्षेत्र		डेमोले.	सील	डेमोले.	सील	डेमोले.	सील	डेमोले.	सील	2014	363	37	305	267	453	144	715	140	2015	384	73	340	250	176	184	610	160	2016	308	18	268	185	240	54	615	170	2017	204	12	299	244	250	56	679	142	2018	72	05	49	35	55	80	131	63	कुल	1331	145	1261	981	1174	456	2750	675
वर्ष	नजफगढ़			दक्षिणी क्षेत्र		पश्चिमी क्षेत्र		मध्य क्षेत्र																																																																	
	डेमोले.	सील	डेमोले.	सील	डेमोले.	सील	डेमोले.	सील																																																																	
2014	363	37	305	267	453	144	715	140																																																																	
2015	384	73	340	250	176	184	610	160																																																																	
2016	308	18	268	185	240	54	615	170																																																																	
2017	204	12	299	244	250	56	679	142																																																																	
2018	72	05	49	35	55	80	131	63																																																																	
कुल	1331	145	1261	981	1174	456	2750	675																																																																	
ग	एक बार बिल्डिंग डिमोलिशन या सील होने के बाद दोबारा न बने, यह सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी होती है;	<p>उत्तरी दिल्ली नगर निगम अवैध निर्माण वाली संपत्तियों को डी-सील करने के बाद उनका दुबारा अवैध निर्माण निर्माता न हो इसके लिए सहायक अभियन्ता द्वारा क्षेत्रीय था-नाध्यक्ष को देखभाल और निगरानी हेतु पत्र लिखा जाता है ।</p>																																																																							

		<p>पूर्वी दिल्ली नगर निगम अवैध निर्माणों एवं उनके पुनः निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही करने के जिम्मेदारी भवन विभाग के अधिकारियों की है।</p> <p>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रिय भवन विभाग के स्टाफ की होती है तथा डेमोलिशन/सिलिंग की कार्यवाही करने के बाद इस संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशन को अनाधिकृत निर्माण दोबारा न हो वॉच-वार्ड रखने हेतु सूचना दी जाती है जिन सम्पत्तियों की सील भवन मालिकों द्वारा स्वयं तोड़ दी जाती है। यह संज्ञान में आने पर उनके खिलाफ अधिनियम 466 ए डी.एम.सी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है।</p>
घ	<p>बिल्डिंग दोबारा बनने पर संबंधित अधिकारी पर किस एक्ट में क्या कार्रवाई की जाती है। ऐसी संपत्तियों जिनका सील, डी-सील या डेमोलिशन होने के बाद जिनका पुनः निर्माण हुआ हो, उसकी जोन वाइज सूची उपलब्ध कराई जाए; और</p>	<p>उत्तरी दिल्ली नगर निगम MCD कर्मचारी पर CCS(Conduct) Rules 1964 व MCD Service (Conduct and) Regulation 1964 DMC ACT के अनुसार कार्यवाही की जाती है।</p> <p>पूर्वी दिल्ली नगर निगम इस तरह के मामलों की जांच में जिस अधिकारी की संलिप्तता पायी जाती है उसके विरुद्ध सेवा नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जाती है।</p> <p>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की लापरवाही साबित होती है तो दंडात्मक कार्रवाई सी.सी.एस कंडक्ट रूल 1964 के अन्तर्गत की जाती है। ऐसी संपत्तियों जिनका सील, डी-सील या डेमोलिशन होने के बाद जिनका पुनः निर्माण हुआ है। इस संबंध में चारों जोनों को पत्र भी लिख दिया गया है।(कॉपी संलग्न है)</p>
ड	<p>ऐसी संपत्तियों जिनका सील, डी-सील या डेमोलिशन होने के बाद जिनका पुनः निर्माण हुआ हो, उसकी जोन वाइज सूची उपलब्ध कराई जाए; और</p>	<p>उत्तरी दिल्ली नगर निगम ऐसी सम्पत्तियों जिनका सील/डी-सील/ डेमोलिशन होने के बाद जिनका पुनः निर्माण हुआ हो, इस प्रारूप में क्षेत्रीय कार्यालयों में जानकारी उपलब्ध नहीं है।</p> <p>पूर्वी दिल्ली नगर निगम ऐसे अवैध निर्माण जिनमें सील, डी-सील या डेमोलिशन होने के बाद पुनः निर्माण हुआ है उनकी संख्या उपरोक्त सूची में दी गई है।</p> <p>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार दिनांक 1.1.2014 से 30.04.18 तक भवन विभाग पश्चिमी क्षेत्र द्वारा 4510, मध्य क्षेत्र द्वारा 6701, दक्षिणी क्षेत्र 5228 एवं जनफगढ़ क्षेत्र 3069 सम्पत्तियों पर अवैध निर्माण एवं नक्शे के विरुद्ध निर्माण कार्य के चलते डी0एम0सी एक्ट की धारा 343/344 के तहत बूक किया गया है।</p>
च	<p>तीनों नगर निगमों के अंतर्गत कुल बुक की गई बिल्डिंगों की आज की स्थिति का जोन वाइज विवरण दिया जाए?</p>	<p>उत्तरी दिल्ली नगर निगम उपरोक्त 'क' एवं 'ख' के अनुसार</p> <p>पूर्वी दिल्ली नगर निगम कुल बुक किये गये अवैध निर्माणों की आज की स्थिति का सर्वे करने के लिए दो महीने समय की आवश्यकता है।</p> <p>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार दिनांक 01.01.2014 से 30.04.2018 तक भवन विभाग पश्चिमी क्षेत्र द्वारा 4510, मध्य क्षेत्र द्वारा 6701, दक्षिणी क्षेत्र 5228 एवं नजफगढ़ क्षेत्र 3069 संपत्तियों पर अवैध निर्माण एवं नक्शे के विरुद्ध निर्माण कार्य के चलते डीएमसी-एक्ट की धारा 343 / 344 के तहत बुक किया गया है।</p>


 Dy. Secy. (Urban Development)
 Govt. of NCT of Delhi
 Civil Secretariat

3

जनवरी 2014 से अप्रैल 2018 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अवैध निर्माण के चलते जितने भवन बुक किए गए, उनका जोन वाइज वर्षानुसार पूर्ण ब्यौरा :

जोन	2014	2015	2016	2017	2018
सिटी-एस.पी	447	265	231	513	203
सिविल लाईन	595	888	776	429	112
रोहिणी	254	234	251	266	159
नरेला	175	194	158	133	96
केशव पुरम	612	804	656	690	227
करोल बाग	594	397	396	419	160

उपरोक्त बुक की गई संपत्तियों में से जितनों को गिराया गया व जितनों को सील किया गया, उसका वर्षवार जोन वाइज अलग-अलग ब्यौरा :

वर्ष	सिविल लाईन		रोहिणी		केशव पुरम		करोल बाग		सिटी-एस.पी		नरेला	
	गिराये गये	सील किए गए	गिराये गये	सील किए गए	गिराये गये	सील किए गए	गिराये गये	सील किए गए	गिराये गये	सील किए गए	गिराये गये	सील किए गए
2014	167	31	24	08	310	49	447	76	612	72	09	11
2015	255	44	38	10	295	31	265	25	490	98	08	03
2016	548	58	50	21	222	31	231	25	459	144	10	10
2017	296	23	79	05	283	20	299	23	410	171	11	09
2018	137	330	47	13	82	05	124	20	163	340	10	02

अवधि	विवरण	शाह. उ. क्षेत्र	शाह. द. क्षेत्र	कुल
2014	बुक किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	545	958	1503
	तोड़ गए अवैध निर्माणों की संख्या	511	432	943
	शील किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	114	70	184
	पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के अनुसार पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।		
2015	बुक किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	715	1208	1923
	तोड़ गए अवैध निर्माणों की संख्या	367	478	845
	शील किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	213	54	267
	पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के अनुसार पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।		
2016	बुक किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	909	811	1720
	तोड़ गए अवैध निर्माणों की संख्या	426	430	856
	शील किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	119	34	153
	पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के अनुसार पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।		
2017	बुक किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	1150	1068	2218
	तोड़ गए अवैध निर्माणों की संख्या	350	464	814
	शील किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	129	262	391
	पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के अनुसार पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।		
2018 (30 अप्रैल तक)	बुक किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	326	539	865
	तोड़ गए अवैध निर्माणों की संख्या	93	163	256
	शील किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	25	79	104
	पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या	क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के अनुसार पुनः निर्माण किए गए अवैध निर्माणों की संख्या का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।		


 Admn. Officer/C&C
 East Delhi Municipal Corporation

5

MOST URGENT
TIME BOUND

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (BUILDING)HQ
9TH FLOOR : DR. S.P.M. CIVIC CENTRE : E-WING: MINTO ROAD
NEW DELHI - 110002

No.South DMC/SE(B)HQ/2018/143

Dated :01.06.2018

Subject : Vidhan Sabha Starred Question No.86 for 07.06.2018 -
Information sought by Sh. Jarnail Singh, Hon'ble MLA.

Kindly refer to letter No.F.33/331/AO/C&C/2018/1779 dated 30.05.2018 from the C&C Department vide which Vidhan Sabha Starred Question No.86 due for 07.06.2018 has been sent wherein Sh. Jarnail Singh, Hon'ble MLA has sought information w.r.t. unauthorized construction from all the three Corporations w.e.f. January, 2014 to April, 2018 (copy of question is enclosed).

In this regard, it is informed that the information provided by the Zonal Building Departments, South DMC w.r.t. point No.(d) is not satisfactory क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा दी गई जानकारी सतोषजनक नहीं है which is reproduced as under:-

घ)	बिल्डिंग दोबारा बनने पर संबंधित अधिकारी पर किस एक्ट में क्या कार्रवाई की जाती है। ऐसी संपत्तियों जिनका सील, डी-सील या डेमोलिशन होने के बाद जिनका पुनः निर्माण हुआ हो, उसकी जोन वाइज सूची उपलब्ध कराई जाए; और
----	--

In view of above, all Zonal Building Departments are requested to provide information relating to above point immediately, for onward submission to the Urban Development Department, GNCTD.

This may be treated as **MOST URGENT & TIME BOUND** in order to avoid embarrassment of the Department in the Assembly.

Encl: As above.

S.E.(Building)HQ
South DMC

All Zonal EEs(B), South DMC
(Central, South, West & Najafgarh Zones)